न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–62 सन् 2012

वीवी मेहरून निशा.....वादी।

बनाम

मैनुद्दीन मियां वगैहर.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 12.12.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 01 की ओर से अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 25.01.2019 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 01 का आवेदन में कथन है कि जिस जमीन के संबंध में यह मुकदमा श्रीमान् के न्यायालय में चल रहा है उसकी कोई जानकारी प्रतिवादी सं0 01 वो 02 को नही दी गई। मुकदमा का समन एवं रजिस्टरी कार्ड प्रतिवादी एवं उनके भाई पर नहीं हुआ। प्रतिवादी सं0 03 हाजी मियां एवं वादी एक राय में होकर सभी कार्रवाई बाला बाला करवा ली है। प्रतिवादी सं0 03 हाजी मियां न्यायालय में हाजिर होकर वादीगण के पक्ष में जवाब भी दिए हैं और उनके पक्ष में गवाही भी दिए हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में इस मोकदमे की जानकारी प्रतिवादी को गांव में अफवाहन मालूम हुई तो वे दिनांक 11.01.2019 को न्यायालय में आकर अपने अधिवक्ताओं से रेकर्ड का मुआइना कराये, उसके अवलोकन से मालूम हुआ कि दिनांक 15.01.2023 को तीनों प्रतिवादी पर रजिस्टरी कभर गया था जिसे प्रतिवादी सं0 03 हाजी मियां सभी रजिस्टरी कभर ले लिए और प्रतिवादी सं0 01 वो 02 को जानकारी नहीं होने दिए। उसी आधार पर दिनांक 15.01.2013 को प्रतिवादी सं0 01 वो 02 पर भी तामिला घोषित कर दिया गया तथा इन लोगों के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई प्रारंभ हो गई। अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वह वादी एवं प्रतिवादी सं0 03 के आपसी मेल में हुई है। झगड़ा वालीर जमीन में मन प्रतिवादी का हकितय, कब्जा एवं स्वार्थ निहित है। वादी एवं प्रतिवादी मिलकर जाली, फरेबी, गैर कानूनी कागज तैयार किए हैं जिसकी कोई पाबंदी प्रतिवादी पर नहीं है। दिनांक 11.01.2019 को प्रतिवादी वकालतन इस न्यायालय में हाजिर हो चुके हैं लेकिन भूलवश उस रोज कोई आवेदन उनके तरफ से अधिवक्ता महोदय नहीं दे सके। प्रतिवादी को इस मोकदमे में जवाब देकर अपना पक्ष रखने एवं उसके अनुसार संघर्ष करना अति आवश्यक है। इसके लिए दिनांक 15.01.2013 का आदेश वापस लेना न्यायहित में जरूरी है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध जो एकपक्षीय सुनवाई का

आदेश दिनांक 15.01.2013 को श्रीमान् द्वारा पारित हुआ है उसे वापस लेकर प्रतिवादी को बयान तहरीर देकर संघर्ष करने का मौका दिया दिया जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 14.03.2019 को दाखिल कर कथन है कि जिन तथ्यों एवं प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवादी सं0 01 ने यह सवाल दाखिल किया है वह चलने योग्य नहीं है, बल्कि काबिले खाजिर के है। प्रतिवादीगण पर निबंधित डाक द्वारा समन निर्गत किया गया। जिसकी पूर्ण संतुष्ठी के पश्चात् अदालत हाजा द्वारा संपुष्ट करने के पश्चात् मोकदमा में हाजिर प्रतिवादी सं0 03 के साथ मोकदमा की अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की गई जो लंबे समय तक अग्रिम कार्यवाही होने के पश्चात् वादी का सिर्फ बहस होना बाकि है। प्रतिवादी सं0 01 जानबुझकर मोकदमे की जानकारी दिनांक 11.01.2019 को होने की बात स्वीकार किया है जो वास्तविकता से पड़े हैं। प्रतिवादी सं0 01 अनावश्यक तौर पर मुकदमे की कार्रवाई विलंब करने की नियत से आवेदन दाखिल किया है जो कार्रवाई को परिलक्षित करता है। प्रतिवादी सं0 01 केवल मुकदमा को विलंब करना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 का आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 आवेदन दाखिल कर न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 15.01.2013 को वापस लेने तथा प्रतिवादी सं0 1 को बयान तहरीरी दाखिल कर कंटेस्ट करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। प्रतिवादी सं0 01 का आवेदन में कथन है कि जिस जमीन के संबंध में यह मुकदमा श्रीमान् के न्यायालय में चल रहा है उसकी कोई जानकारी प्रतिवादी सं0 01 वो 02 को नही दी गई। मुकदमा का समन एवं रजिस्टरी कार्ड प्रतिवादी एवं उनके भाई पर नहीं हुआ। प्रतिवादी सं0 03 हाजी मियां एवं वादी एक राय में होकर सभी कार्रवाई बाला बाला करवा ली है। प्रतिवादी सं0 03 हाजी मियां न्यायालय में हाजिर होकर वादीगण के पक्ष में जवाब भी दिए हैं और उनके पक्ष में गवाही भी दिए हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में इस मोकदमे की जानकारी प्रतिवादी को गांव में अफवाहन मालूम हुई तो वे दिनांक 11.01.2019 को न्यायालय में आकर अपने अधिवक्ताओं से रेकर्ड का मुआइना कराये, उसके अवलोकन से मालूम हुआ कि दिनांक 15.01.2023 को तीनों प्रतिवादी पर रजिस्टरी कभर गया था जिसे प्रतिवादी सं0 03 हाजी मियां सभी रजिस्टरी कभर ले लिए और प्रतिवादी सं0 01 वो 02 को जानकारी नहीं होने दिए। उसी आधार पर दिनांक 15.01.2013 को प्रतिवादी सं0 01 वो 02 पर भी तामिला घोषित कर दिया गया तथा इन लोगों

के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई प्रारंभ हो गई। प्रतिवादी सं0 01 विलंब से आये हैं फिर भी न्याय का मूल सिद्धांत है कि वाद की सम्यक न्याय निर्णयन के लिए प्रतिवादी सं0 01 को समुचित मौका दिया जाना चाहिए। अतः प्रतिवादी सं0 01 की ओर दाखिल आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 15. 01.2013 को 2000/—रूपये खर्चा के साथ वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0 01 बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिवादी सं0 01 खर्च की राशि वादी को प्रदान कर नियत दो तिथियों में अपना बयान तहरीरी दाखिल करें एवं अपना साक्ष्य भी नियत समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करे।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर, सारण।